तामील र व रीख	तारीख हुक्म	राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व विविध सं. 10/2016 तीजोबाई बनामः विशनसिंह वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,1955 व सपठित आदेश-39,नियम-1 व 2 एवं धारा 151 सी.पी.सी.	हुक्म तामील नंबर व तारीख

दिनांक 16.06.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प-अटल सेवा केन्द्र नेतरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की मंशा के अनुरूप सुलभ न्याय हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत् मामले में गत् आदेश तालिका दिनांक 12.02.2016 के अनुसार सरहद मौजा नेतरा पटवार सर्कल नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 253, 150, 151, 247, 248, 249, 1088, 1090, 1066, 1089, 435/1266, 441 कुल रकबा 8.58 हेक्टर में प्रार्थीनी के भाई स्व.मोती पुत्र झुंजा कौम पुरोहित के हिस्से की दर्ज सम्पूर्ण कृषि भूमि से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को आगामी आदेश तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, के बारे में वाद-विषयक स्थिति पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि उल्लेखित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 07/2016 के निस्तारण तक पुख्ता करना उचित समझते है।

विशनसिंह

धानसिंह

अतः उल्लेखित विश्लेषण व विवेचित तथ्यों के परिणामतः प्रार्थीनी का यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के कतिपय प्रावधानों के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा नेतरा पटवार सर्कल नेतरा तहसील सुमेरपुर में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नं. 253, 150, 151, 247, 248, 249, 1088, 1090, 1066, 1089, 435/1266, 441 कुल रकबा 8.58 हेक्टर में प्रार्थीनी के भाई स्व.मोती पुत्र झुंजा कौम पुरोहित के हिस्से की दर्ज सम्पूर्ण कृषि भूमि से संबंधित वर्तमान राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति को संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 07/2016 के निस्तारण तक यथावत् बनाये रखने हेतु दोनों पक्षकारों को पाबंद करते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। उक्त आदेश से दोनों पक्षकारान पाबंद रहेंगे, सूचित रहे।

यह आदेश बरोज आज दिनांक 16.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प-अटल सेवा केन्द्र नेतरा में सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो एवं संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 07/2016 के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

Scanned by CamScanner